

- 5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में व्यय नहीं किया जायेगा, जिसके लिए, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस स्थिति में व्यय से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- 6- बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय एवं न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से, अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
- 7- आयोजनेत्तर पक्ष, बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर, बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106 भार और माप का विनियमन-03 अधिष्ठान व्यय की सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 561 /XIX-1/18-90/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- वित्त नियंत्रक, खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- वित्त विभाग-05/01, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- प्रभारी मीडिया, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,  
विधिक माप विज्ञान विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 18 अप्रैल, 2018

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु, अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-3475 के अन्तर्गत वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-519/3(150)/XXVII (1)/2018, दिनांक-02.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-3475 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित की धनराशि रू0-44430.00 हजार (रू0-चार करोड़ चवालीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- 1- उपरोक्त मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर, किशतों में, वास्तविक व्यय/आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में, अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में, उक्त धनराशि का उपयोग, नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय, वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्वेज रूल्स एवं मितव्यतिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।